एकल पीठ

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक **295/2006**

आवेदकगण:

1. नंदू राम बांधे, आत्मज श्री दरबान बांधे, आयु लगभग 56 वर्ष, पटवारी
2. श्रीमती पुन्नीबाई बांधे, पति श्री नंदू राम बांधे, आयु लगभग 50 वर्ष
3. श्रीमती राजकुमारी बंजारे, पति श्री ओम प्रकाश बंजारे, आयु लगभग 22 वर्ष

सभी निवासी:- ग्राम- भोथली, पोस्ट- फरफौद, थाना- आरंग, जिला- रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

अनावेदक:

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **397** सहपठित धारा **401** के तहत दाण्डिक पुनरीक्षण।

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

निर्णय

**(**दिनांक **10-05-2006** को पारित**)**

आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा उपस्थित।

राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री रवीन्द्र अग्रवाल उपस्थित।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वह स्थगन हेतु प्रस्तुत आवेदन क्रमांक एम. (सीआर). पी क्र . 1026/2006 पर बल नहीं देना चाहते, जिसे तदनुसार बल नहीं दिए जाने के कारण खारिज किया जाता है।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना की कि इस पुनरीक्षण को आज ही स्वीकार्यता के स्तर पर अंतिम रूप से सुना और निराकृत किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस निवेदन का कोई विरोध नहीं किया गया।

अतः, इस पुनरीक्षण को आज अंतिम रूप से सुनवाई की गई।

यह पुनरीक्षण विद्वान सत्र न्यायाधीश, रायपुर श्री आर.एस. शर्मा द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक- 128/2006 में पारित आदेश दिनांक 08-04-2006 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा आवेदकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आरोप विरचित किया गया था।

संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आवेदक क्रमांक 3 श्रीमती राजकुमारी बंजारे, आवेदक क्रमांक 1 एवं 2 की पुत्री है। उसका विवाह मृतक से हुआ था। यह आरोप है कि दिनांक 14-07-2005 को राजकुमारी अपने मायके ग्राम-भोथली आई थी। दिनांक 17-07-2005 को मृतक अपनी पत्नी को वापस ले जाने के लिए उसके मायके गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकगण चाहते थे कि मृतक उनके साथ रहे और उन्होंने राजकुमारी को मृतक के साथ नहीं

भेजा। इस पर मृतक ने थाना आरंग जाकर दिनांक 18-07-2005 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि आवेदक क्रमांक 1 एवं 2 उसकी पत्नी को बार-बार उसके मायके ले जाते थे और उसके निवेदन पर उसे वापस नहीं भेज रहे थे, जिससे वह मानसिक अवसाद की स्थिति में पहुँच गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसी दिन अर्थात् दिनांक 18-07-2005 को उक्त रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद, ओम प्रकाश अपने घर गया और जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उसने एक आत्महत्या संबंधित एक पत्र छोड़ा जिसमें कथन किया गया था कि वह आवेदकों के व्यवहार से पूरी तरह हताश होकर आत्महत्या कर रहा है। दिनांक 19-07-2005 को उसका शव परीक्षण किया गया। इससे ज्ञात हुआ कि ओम प्रकाश की मृत्यु जहर के सेवन के परिणामस्वरूप हृदय-श्वसन विफलता के कारण हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यदि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य को उसके प्रत्यक्ष मूल्य पर भी स्वीकार कर लिया जाए, तो भी आवेदकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत प्रथम दृष्टया कोई प्रकरण नहीं बनता है। इस आधार पर उन्होंने प्रार्थना की कि आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाए।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रवीन्द्र अग्रवाल ने प्रार्थना का विरोध करते हुए अभिलेख पर ऐसे किसी अन्य साक्ष्य की ओर संकेत नहीं किया जो आवेदकों द्वारा किए गए किसी ऐसे दुष्प्रेरण या उकसावे को दर्शाती हो जिसके परिणामस्वरूप ओम प्रकाश ने आत्महत्या की।

उभय पक्षों के तर्कों पर विचार करने के उपरांत, मैंने आक्षेपित आदेश दिनांक 08-04-2006 और आवेदकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत विरचित आरोप का अवलोकन किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 दुष्प्रेरण को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

**"**धारा **107-** किसी बात का दुष्प्रेरण वह व्यक्ति किसी बात के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है**,** जो-

पहला- उस बात को करने के लिये किसी व्यक्ति को उकसाता है; अथवा

दूसरा- उस बात को करने के लिये किसी षड्यन्त्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यन्त्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाय; अथवा

तीसरा-उस बात के किये जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है ।

स्पष्टीकरण 1- जो कोई व्यक्ति जान-बूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा, या तात्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिये वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छ्या किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है, अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण 2- जो कोई या तो किसी कार्य के किये जाने से पूर्व या किये जाने के समय, उस कार्य के किये जाने को सुकर बनाने के लिये कोई बात करता है, और एतद्वारा उसके किये जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह सुस्थापित विधि है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत अपराध स्थापित करने के लिए अभियोजन को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि मृतक द्वारा की गई आत्महत्या, आवेदकों द्वारा दिए गए दुष्प्रेरण या उकसावे का प्रत्यक्ष और सन्निकट कारण थी। यह भी सुस्थापित है कि आरोप विरचित करने का मापदण्ड यह है कि यदि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को उसके प्रत्यक्ष मूल्य पर स्वीकार कर लिया जाए, तो क्या वह आवेदकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत अपराध के आवश्यक तत्वों को गठित करती है। राकेश वैष्णव विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य **2004 (1) C.G.L.J. 324** के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अभियोजन द्वारा धारा 306 भा.दं.सं. के तहत आरोप विरचित करने हेतु यह दिखाया जाना चाहिए कि उकसावा, यदि कोई हो, तो वह आत्महत्या

के कृत्य के साथ इतना प्रत्यक्ष, सह-संबंधित, तात्कालिक और सन्निकट था कि यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सके कि मृतक ने केवल उसी उकसावे के कारण आत्महत्या की।

वर्तमान प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर उपरोक्त सिद्धांत को लागू करने पर, मैं पाता हूँ कि अभिलेख पर ऐसे साक्ष्य का लेशमात्र भी अंश नहीं है जिससे यह प्रकट हो कि आवेदकों ने किसी भी रीति से ओम प्रकाश को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया हो या उकसाया हो। ऐसा निष्कर्ष निकालने के लिए भी कोई साक्ष्य नहीं है कि आवेदक चाहते थे कि ओम प्रकाश आत्महत्या कर ले। कोई भी पत्नी या सास-ससुर कभी नहीं चाहेंगे कि उनका दामाद आत्महत्या करे। ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक ने, अपनी पत्नी को उसके ससुराल न भेजने के आवेदक क्रमांक 1 एवं 2 के व्यवहार से पूरी तरह हताश होकर, जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर जीवन के प्रति पलायनवादी दृष्टिकोण अपना लिया। अतः यह स्पष्ट है कि आवेदकों के विरुद्ध धारा 306 भा.दं.सं. के तहत प्रथम दृष्टया प्रकरण होने को दर्शाने वाला कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विद्वान सत्र न्यायाधीश ने खेदजनक रूप से अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर अपना विवेक प्रयोग करने की उपेक्षा की और यांत्रिक रूप से आवेदकों के विरुद्ध धारा 306 भा.दं.सं. के तहत आरोप विरचित कर दिया। सत्र न्यायाधीश होने के नाते, उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे आरोप विरचित करने हेतु कम से कम उन बुनियादी मार्गदर्शक सिद्धांतों को जानें, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय के निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला द्वारा सुस्थापित की गई हैं। अतः आक्षेपित आदेश प्रत्यक्षतः अवैध है और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में अपास्त किए जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप, यह पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है। आवेदकों के विरुद्ध धारा 306 भा.दं.सं. के तहत आरोप विरचित करने वाला आक्षेपित आदेश दिनांक 08-04-2006 अपास्त किया जाता है। आवेदकगण दोषमुक्त किए जाते हैं।

हस्ता/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

====0000====

**(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)**

अस्वीकरणःहिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur